भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 218
(जिसका उत्तर मंगलवार, 04 फरवरी, 2025 को दिया गया)

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण पीठ की स्थापना

218. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कारपोरेट विवाद समाधान को आसान बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) पीठ की स्थापना करने का विचार रखती है;
(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क), (ख) और (ग): महोदय, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) की पीठों को कार्यभार की मात्रा और अन्य कारकों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जा रहा है। अब तक, एनसीएलटी की एक प्रधान पीठ और पंद्रह (15) अन्य पीठें स्थापित की गई हैं। फिलहाल, छत्तीसगढ़ में एनसीएलटी की नई पीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****